



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O) 07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E-Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0/मा.चि./न0क्र0-131/2020 1983
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 03/12/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Korea Division "Bharatnet project which is a GOI initiative. Under this project, Connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic Fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber of 32,466 KM will involve 26 districts across the State" Area-4.746 ha.-regarding
पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/42198/2019

- संदर्भ :-**
- छ0ग0 शासन वन विभाग का पत्र क्र./एफ 5-24/2020/10-2 दिनांक 09.10.2020
 - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ0ग0 रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-816/1839 दिनांक 16.10.2020
 - वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल का पत्र क्र./तक.क./15222 दिनांक 02.12.2020

—00—

विषयांकित भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य के पूर्व प्रेषित वनभूमि व्यवर्तन प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के संदर्भित-1 एवं आपके संदर्भित पत्र-2 द्वारा 06 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।

उपरोक्तानुसार वांछित 06 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी, जो वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल के संदर्भित पत्र-3 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, के प्रतिवेदन अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

बिन्दु क.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1	आवेदित वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क. 4 से 8 में दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 105 टुकड़ों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क. को अनेक बार आवेदित किया गया है। (जैसे कक्ष क. 461 दो बार, 570 दो बार, 572A 3 बार एवं P576 का विवरण 4 बार दिया गया है) इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, कि उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है। उक्त आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग-II) में आवेदित उक्त वनभूमि का रकबा को कक्ष वार एकजाई कर निम्न तालिका अनुसार प्रदाय करें :- (संदर्भित पत्र में उल्लेखित 10 कॉलम में तालिका) उस तालिका में कक्ष क. की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तथा आवेदित वन भूमि का विवरण कक्षवार एकजाई	प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कार्य में केबल लाईन कोई एक वन कक्ष में एक से अधिक बार गुजरने की स्थिति में कक्ष के अलग - अलग भूखण्डों की गणना अलग - अलग की गई है। अतः एक ही कक्ष की प्रविष्टि अनेक बार की गई है। कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ0ग0 का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115 - 829/1783 नवा रायपुर दिनांक 07.10.2020 तथा छ0ग0 शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ-5-8 /2020 /10-2 दिनांक 21.09.2020 के परिपालन में बिन्दु - 3 में उल्लेखित 10 कॉलम मय तालिका अनुसार प्रत्येक वन कक्ष का कुल आवेदित रकबा दर्शाते हुए विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न :- पेज क. 01 से 04 तक।

d:\dm section\memo diversion\131-korea_bharatnet 02.doc -1-

	हो सकेगा जिससे राज्य शासन से जारी किए जाने वाले अनुमति पत्र में एक कक्षा के कुल एकज्याई रकबा का एक बार वर्णन दर्ज हो सकेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है, कि भारत नेट परियोजना फेस के तहत राज्य शासन को प्रेषित किये जा रहे भारत नेट परियोजना के समस्त प्रकरणों में इसी तरह का (आवेदित वन क्षेत्र) विवरण भेजा जा रहा है। पूर्व में धमतरी वनमण्डल के प्रकरण में भी ऐसा ही विवरण होने पर आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि को मंत्रालय में उपस्थित किया जाकर उपरोक्तानुसार सुधार करवाया गया तथा समझाईश दी गई कि, आगामी प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में इसकी पुनरावृत्ति न हो किन्तु उक्त त्रुटि का सुधार नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त त्रुटि को संशोधित कर राज्य शासन को भेजे जाने वाले प्रकरणों में भी उक्त त्रुटि को सुधार कर संशोधित करना सुनिश्चित करें।	
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 9 में गैर वन क्षेत्र हेतु 18.04 हे. प्रभावित दर्शाया गया है। उक्त क्षेत्र का विस्तृत विवरण संलग्न प्रेषित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न आनलाईन फॉर्म-A, पार्ट-01 में ग्रामवार गैर वन क्षेत्र का विवरण उल्लेख किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः जानकारी प्रेषित है। संलग्न :- पेज क्र. 05 से 11 तक।
3	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 11 के अनुसार वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है किन्तु प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 55 में प्रदायित वनमण्डलाधिकारी के अनुशंसा (भाग-2) के बिन्दु क्र. IV में घनत्व 0.5 से अधिक है।	वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के पृष्ठ क्र.55 में प्रदायित (भाग - 2) के बिन्दु क्र. VI में घनत्व 0.5 से अधिक है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छगगढ़ के पत्र क्र./ भू-प्रबंध/विधि/115-827/1529 नवा रायपुर दिनांक 18.08.2020 के बिन्दु क्र. 11 में घनत्व 0.5 से कम दर्शाया गया है। जो कि त्रुटि है, उक्त त्रुटि को संबंधित कार्यालय से संशोधित किया जावेगा। संलग्न :- पेज क्र. 12 से 15 तक।
4	प्रस्ताव के पृष्ठ 76 में लेख है कि मार्ग (लम्बाई 39.719 किमी. तथा क्षेत्रफल 1.986 वर्ग कि.मी. गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 कि.मी. के परिधि में अंतर्गत स्थित है। कृपया इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत प्राप्त प्रेषित करें।	आवेदक विभाग द्वारा यह लेख किया गया है कि आवेदित क्षेत्र गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा से 10 कि.मी. के परिधि के अंतर्गत स्थित है। प्रस्तावित ओ.एफ.सी. रुट विद्यमान मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही किया जावेगा केवल बिछाने के कार्य भूनिगत सामानांतर डिजिटल तकनीक से वन अधिकारियों की जानकारी एवं देख-रेख में किया जावेगा जिससे वन्यप्राणी एवं जैव विविधता को किसी प्रकार की क्षति न हो। आवेदित क्षेत्र गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर से या उसके सीमा से होकर नहीं गुजर रहा है। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत

		की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में बिन्दु क्र. 6 में विस्तृत विवरण दिया गया है।
5	प्रस्ताव के पृष्ठ 78 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र रकबा 4.680 हे. के लिए प्रदाय किया गया है। जबकि कुल आवेदन 4.746 हे. हेतु आवेदित है।	कलेक्टर जिला कोरिया द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत केवल वनभूमि का रकबा 4.680 हे. के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है जबकि कुल आवेदन 4.746 हे. हेतु आवेदित है। शेष राजस्व वनभूमि रकबा 0.066 हे. के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रथम वर्ण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने हेतु आवेदक विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।
6	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 21 में लेख किया गया है, कि राष्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर से ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुमति आवश्यक नहीं है। कृपया भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. 6-175/2017 WL, दिनांक 19.02.2018 का अवलोकन करें। इसमें उक्त क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	आवेदक विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. 6-175/2017 WL दिनांक 19.02.2018 में उल्लेख किया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग के राईट ऑफ वे में राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणी अभ्यारण्य, टाईगर रिजर्व या अन्य संरक्षित क्षेत्र जो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो, के अंदर से बिछाये जाने के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है। संलग्न :- पेज क्र. 16 से 17 तक।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल का संदर्भित पत्र-3 मय पालन प्रतिवेदन की प्रति अनुमति सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 02 प्रतियों में सम्प्रेषित है।

संलग्न :- संदर्भित पत्र-3 मय पालन प्रतिवेदन 02 प्रतियों में।


मुख्य वन संरक्षक

सरगुजा वनक्षेत्र, अम्बिकापुर

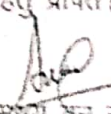
पृ०क्र०/मा.चि./न०क्र०- 131/2020

1984

अम्बिकापुर, दिनांक 03/12/2020

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्य पालन अधिकारी, छ०ग० इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेंड फ्लोर एस.डी.सी. भवन सिविल लाईन्स रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक

सरगुजा वनक्षेत्र, अम्बिकापुर